



2026:AHC: 20528

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या- 325/2026

रवींद्र नाथ

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप निदेशक चकबंदी व अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: कीर्तिकर पांडे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- यह रिट याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर किया गया है:

"i. प्रत्यर्थी संख्या 1 / उप निदेशक चकबंदी, बलिया को निर्देशित और समादेशित करने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण संख्या 1779/2025, कंप्यूटरीकृत पुनरीक्षण संख्या 20255415900001830 (रवींद्र व अन्य बनाम भानु प्रताप) और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर पुनरीक्षण संख्या 982/2022, कंप्यूटरीकृत पुनरीक्षण संख्या 20225415900001255 (भानु प्रताप बनाम रवींद्र व अन्य), जो समान वाद-कारण और मुद्दों पर आधारित हैं तथा जो उनके समक्ष राजस्व ग्राम-पुर, परगना-सिकंदरपुर पूर्वी, तहसील-सिकंदरपुर, जनपद-बलिया के संबंध में जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 48(1) के अंतर्गत लंबित हैं, का न्याय के हित में यथाशीघ्र और इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक निश्चित समय सीमा के भीतर निस्तारण करें।"

3- यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मामला काफी लंबे समय से विचाराधीन है; हालांकि, इसे शीघ्रता से निर्णीत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

4- विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5- इस परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में वर्णित वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। उप निदेशक चकबंदी (प्रत्यर्थी संख्या 1), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो, तो वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार शीघ्रता से इसका निस्तारण करें।

6- उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

29 जनवरी, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)